

**संचालनालय आयुष, म०प्र०**  
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in  
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931  
Fax (0755) 2760225

**—एम०डी०/एम०एस० (आयुर्वेद)/(होम्योपैथी) संशोधित काउंसिलिंग कार्यक्रम—**

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2019 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालय, जिन्हें आयुष मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश शासन से मान्यता/प्रवेशानुमति तथा म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन काउंसिलिंग (mponline) के माध्यम से संपन्न होगी। प्रथम चरण का संशोधित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-


1/ प्रथम चरण का संशोधित काउंसिलिंग कार्यक्रम-

1	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों/पाठ्यक्रम की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 5/9/2019 से 8/9/2019 तथा दिनांक 11/9/2019 से 12/9/2019 रात्रि 11:59 बजे तक
3	ऐडिट आप्शन	दिनांक 11/9/2019 से 12/9/2019 रात्रि 11:59 बजे तक
2	सीट आवंटन	दिनांक 17/9/2019
3	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 18/9/2019 से 20/9/2019 तक

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित संशोधित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है।
- 3- प्रवेश नियम-2019 [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) & [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 4- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में च्वाईस फीलिंग की गई है, यदि वे अपनी च्वाईस को बदलना चाहते हैं तो वे ऐडिट आप्शन के माध्यम से संशोधित च्वाईस फीलिंग कर सकते हैं।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
(डॉ० शोभना शुक्ला)  
प्र०संयुक्त संचालक  
संचालनालय आयुष म०प्र०